प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in,
www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2018
परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : **28.09.2018**		ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : **12.10.2018**	
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : **28.09.2018**		आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : **17.10.2018**	
परीक्षा दिनांक व दिन		**19th Jan. 2019 से प्रारम्भ**	
परीक्षा शुल्क			
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		रू. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		रू. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
19th Jan. 2019 से प्रारम्भ	एक	प्रात: 07:00 से 8:00 बजे तक	8:50 से 9:00 बजे तक (10मिनट)	प्रात: 09:00 से 11:30 बजे तक (2.30 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर-12:00 से 1:00 बजे तक	1:50 से 2:00 बजे तक (10मिनट)	दोपहर: 2:00 से 4:30 बजे तक (2.30 घंटे)

टिप्पणी :-

1. आवेदक अपने आवेदन पत्र में परीक्षा हेतु एक से अधिक विषयों का विकल्प भर सकता हैं | जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा |
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है । यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
5. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार इनेबल्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
7. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
8. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
9. सभी अभ्यथियो का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनियार्य होगा |
10. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है |
11. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
12. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाता हैं | अत: कंप्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णत: प्रावधिक (Provisional) होगी |

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत

माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2018

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	**मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 भर्ती नियम**	**03 - 09**
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	**10 - 24**
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**25 - 39**
4	**प्रारूप-1**	प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	**40**
5.	**प्रारूप-2**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	**41**

अध्याय-1

पात्रता परीक्षा संबंधी नियम

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगीः-

1. पद का विवरण- माध्यमिक शिक्षक

2. पद की श्रेणी- r`rh; (vjkt if=r)

3. पदों की संभावित संख्या

स.क्र.	पदों का विवरण	पदों की संखया (लगभग)
1.	माध्यमिक शिक्षक	5670

पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

4. पदों का वेतन

स.क्र.	**पदों का विवरण**	☆ **वेतन**
1.	माध्यमिक शिक्षक	न्यूनतम वेतन रूपये 32800+महगांई भत्ता।

टीप:- मध्यपदेश वेतन पुनरीक्षित नियम, 2017 के अनुसार ।

5. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।

6. परीक्षा केन्द्र

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल के निर्देशानुसार होगा।

7. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता

(1) माध्यमिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी :-

(अ) **संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा**

अथवा उसके समकक्ष

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एड)

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड, तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि(बी.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्ड्री अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्ड्री अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ए/बी.एससी.बी.एड या बी.ए.एड / बी.एससी.एड.)

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

नोट:- आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(ब) संस्कृत पाठ्यशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य / व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यनूतम शैक्षणिक योग्यता होगी।

8. पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक

(1) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अंकों का प्रतिशत प्रवर्गवार निम्नलिखित अनुसार होगा -:

पदनाम (1)	अनु0जा0/अनु0ज0जा0/ पिछडा वर्ग/दिव्यांगजन (2)	अन्य (3)
माध्यमिक शिक्षक	50 %	60 %

स्पष्टीकरण :–

(1) पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्ते पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा । अन्य राज्य के आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होगें।

(3) दिव्यांगजन आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होगें।

(4) पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जिसमें पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों का दशमलव के दो अंकों तक उल्लेख किया जाएगा। प्राप्तांको को राउण्डऑफ नहीं किया जायेगा।

(5) (क) पात्रता परीक्षा के परिणाम की विषयवार एकीकृत सूची जारी की जायेगी इस सूची में यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, दिव्यांगजन श्रेणी, महिला एवं अतिथि शिक्षक आदि का उल्लेख होगा।

(ख) मेरिट सूची तैयार करने तथा नियोजन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 01-119/2018/20-1 दिनांक 28.08.2018 एवं नियुक्ति के समय इस संबंध में प्रचलित निर्देशों के अनुसार होगी।

(6) एक से अधिक विषयों में कंडिका 7(1) अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित आवेदक को एक से अधिक विषयों में पृथक-पृथक आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा।

9. निर्धारित आयु सीमा

(9.1) न्यूनतम आयु - 21 वर्ष

(9.2) अधिकतम आयु निम्नानुसार होगी:-

क्र.	आवेदक	अधिकतम आयु	अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा |
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	49
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	54
3.	पुरूष / महिला (मध्यपद्रेश शासन के निगम मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक	45	-
4.	पुरूष / महिला (मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति /	45	54

	अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग)		
5.	दिव्यांगजन आवेदकों के लिये	45	54

टीप:- 1. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त होगा।

2. जिला चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

(9.3) सभी अभ्यथियो का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनियार्य होगा ।

10. आयु गणना किस तिथि से मान्य की जाएगी

(1) पात्रता परीक्षा के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना विज्ञापन जारी होने के तिथि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी के संदर्भ में की जायेगी।

(2) पात्रता परीक्षा के उपरांत नियुक्ति के लिये पृथक से विज्ञापन जारी किया जायेगा। नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने के उपरांत रिक्त पदों के लिए वास्तविक रूप से जारी होने वाले विज्ञापन के कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में की जाएगी।

11. आवेदक के लिए अर्हताएं

1. वे ही अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन दे सकेंगें जिन्होने शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपरोक्त कण्डिका 8(1) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो।

2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों या किन्ही अन्य वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट, सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगी जो नियोजन के समय प्रवृत हो।

3. **ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 200 दिन तथा न्यनूतम तीन शैक्षणिक सत्रों में कार्य कर चुके हैं को उच्चतम आयु सीमा में नौ वर्ष की छूट प्राप्त होगी। यह छूट कंडिका 9.2 की तालिका के कॉलम (4) में अंतर्विष्ट है।**

12. आवेदक के लिए निरर्हताएं

कोई भी व्यक्ति - माध्यमिक शिक्षक के लिए नियोजन हेतु पात्र नहीं होगा :

1. यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो,
2. यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है,
3. यदि उसेऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंर्तग्रस्त हो ,परन्तु जहां ऐसा मामला अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में लंबित हो,तो उसकी नियुक्ति का मामला, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।
4. यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में, यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है।
5. यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखो के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हों और यदि उनमें से एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो।

13. आरक्षण

माध्यमिक शिक्षक के पदों का आरक्षण राज्य के निर्धारित रोस्टर के अनुक्रम में नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर किया जाएगा।

आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरणः-

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्रमांक 21 सन् 1994)के उपबंध, माध्यमिक शिक्षक के नियोजन पर लागू होगें।

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक - एफ -6 -1 / 2002 / आ0 प्र0 / एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) नियम,1998 और राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण मे,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित किए जाएंगे। इस आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त् होगा।

(3) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो एवं अनारक्षित वर्ग के लिये निम्नानुसार आरक्षण रहेगाः-

(एक) महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत;

(दो) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अनुसार 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिये 1.5 प्रतिशत की सीमा में निम्नानुसार रहेगाः-

(1) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।

(2) बहरे और कम सुनने वाले।

(3) लोकमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बौनापन,एसिड अटेक पीड़ित, मसकुलर डिस्ट्राफी सम्मिलित है।

(4) बहुविकलांगता उपरोक्तानुसार (1) (2) एवं (3) को सम्मिलित करते हुये।

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10% ;

(चार) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक-05 जून 2018 के निर्देशों में की गई व्यवस्था से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षको की भर्ती हेतु सक्षम स्तर से छूट प्राप्त की गई हैं | अत: संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पृथक से कोई आरक्षण का प्रावधान इन नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होगा |

(4) उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियॉ अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हैं।

'परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(5) **पिछडी आदिम जन जातियों के लिए विशेष उपबन्धः-**

जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया / सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट/विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं तथा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित करने तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने पर रिक्त पद की उपलब्धता होने पर माध्यमिक शिक्षक के पद पर सीधे नियुक्त किया जा सकेगा।

रिक्त पद के विरूद्ध एक से अधिक इसी प्रवर्ग के आवेदक आवेदन करते है तो पात्रता परीक्षा में जिसके अंक अधिक है उस आवेदक का चयन किया जायेगा।

14. रिक्तियों का आकलन एवं चयन के मापदण्ड :-

(14.1) रिक्तियों का आकलन

माध्यमिक शिक्षक की रिक्तियों का आकलन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार करने के पश्चात कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियॉ अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हैं। इन रिक्तियों में भी विभिन्न प्रवर्गो के लिये आरक्षण का प्रतिशत भर्ती नियम, 2018 के नियम 11 के उपनियम (6) एवं (7) के उपबंधों के अधीन रहेगा। परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(14.2) चयन का मापदण्ड :-

समस्त वर्गो के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया राज्य सरकार के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

15. यात्रा व्यय का भुगतान

पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन/पिछड़ा वर्ग एवं किसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. अन्य बिन्दु

किसी भी प्रकार का वाद उद्भूत होने पर न्याय क्षेत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर होगा।

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) आवेदक अपने आवेदन पत्र में एक से अधिक विषयों का विकल्प भर सकता हैं | जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा |

2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख / संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश / चयन / नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 **परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री** :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 **लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ** :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी.ई.बी. के आदेश क्रमांक पी.ई.बी./प-1/3454/2018 भोपाल दिनांक

13/07/2018 के अनुसार लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) **यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) **प्रदान की जाने वाली सुविधाऐं**:-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ-पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा दिनांक से दस दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी ।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें:-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्तता, परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से कम होना चाहिये । उदाहरण के लिये यदि परीक्षार्थी की शैक्षणिक योग्तया स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेण्डरी होना चाहिये।

(ii) अतिरिक्त समय हेतु शर्ते :-

यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय हेतु आवेदन करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) **इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऐं :-**

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा ।

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। **प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_t^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ti}$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) <u>**अनुचित साधन** (**Unfair means**)/ यू.एफ.एम. (**UFM**) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त

में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण **(IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। परररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य / पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

2.13 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक-05 जून 2018 के निर्देशों में की गई व्यवस्था से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षको की भर्ती हेतु सक्षम स्तर से छूट प्राप्त की गई हैं | अत: संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पृथक से कोई आरक्षण का प्रावधान इन नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होगा |

2.15 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र.पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.16 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

2.17 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप**-02 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.18 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप**-02 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.19 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.20 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. आवेदन पत्र में आधार टोकन नम्बर की प्रविष्टि करना ।
2. उपरोक्त आधार टोकन नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टी करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
3. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्टेशन डेस्क पर स्वत: हो सकेगा ।
4. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data आधार इनेबिल्ड सत्यापित होने से विभिन्न विभागों द्वारा पुन: Biometric सत्यापन स्वयं (विभाग) के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.22 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे|

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु Continue बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.23 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.24 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.25 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा

जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.26 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

(i) ऑनलार्इ्न आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.27 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ‘‘हॉ‘‘ विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.29 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P.OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.30 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियम-पुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.31 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.32 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID "Complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते है ।

खण्ड-स

2.33 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
28.09.2018	**12.10.2018**	**15**	**28.09.2018**	**17.10.2018**	**20**

2.34 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	**प्रथम**	**19th Jan. 2019 से प्रारम्भ**	**2:30 घंटे**	प्रातः 09:00 से 11:30 बजे तक (**2.30 घंटे**)	**150**
2	**द्वितीय**		**2:30 घंटे**	दोपहरः 2:00 से 4:30 बजे तक (**2.30 घंटे**)	**150**

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

2.35 (i) **परीक्षा शुल्क :-**

स.क्र.	**अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये**	**अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)**	**नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)**	**आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क**
01.	500/- **प्रति प्रश्न पत्र**	250/- **प्रति प्रश्न पत्र**	250/- **प्रति प्रश्न पत्र**	कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।

(ii) **आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने पर देय शुल्क**

स.क्र.	**आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किये जाने पर शुल्क**	**आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क**

01.	20/-	50/-

2.36 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र				
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन
6. नीमच	7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना
11. खण्डवा	12. गुना	13. दमोह	14. कटनी	15. सीधी
16. छिंदवाडा	17. बालाघाट	18. रीवा	19. सिवनी	20. खरगोन

<u>खण्ड-द</u>

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.37

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है । अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय - 03

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु

परीक्षा योजना निर्देश -

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

1- परीक्षा योजना (**Scheme of Exam**)

2- पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 3:00 घंटे होगी।

3- प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

4- पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा।

परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (**Structure and Content**) निम्नानुसार होगी-

भाग	**विषयवस्तु**	**प्रश्नों की संखया**	**कुल अंक**

(i)	बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy)- **Compulsory**	30 MCQ	30 Marks
(ii)	भाषा-1 (Language-I) (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा) Any one language from Hindi. English] Sanskrit or Urdu - **Compulsory**	30 MCQ	30 Marks
(iii)	भाषा-2 (Language-II) (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा) Any one language from Hindi. English] Sanskrit or Urdu - **Compulsory**	30 MCQ	30 Marks
(iv)	(अ) गणित (Mathematics)- गणित शिक्षक के लिए (**For Mathematics Teacher**)	60 MCQ	60 Marks
	(ब) विज्ञान (Science)- विज्ञान शिक्षक के लिए (**For Science Teacher**)	60 MCQ	60 Marks
	(स) सामाजिक विज्ञान (Social Science)- सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए (**For Social Science Teacher**)	60 MCQ	60 Marks
	(द) मुख्य भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा) Any one language from Hindi. English] Sanskrit or Urdu- भाषा शिक्षक के लिए (**For Language Teacher**)	60 MCQ	60 Marks

प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (**Nature and Standard of Questions**) निम्नानुसार होगा-

(i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 11-14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फेसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।

(ii) भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।

(iii) भाषा-2, भाषा-1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा-2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।

(iv) गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मुख्य भाषा विषय के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागाजी की समझ पर आधारित होंगे।

5- प्रश्नपत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा-6 से 8 एवं कक्षा-9 व 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं सम्बद्धता हायरसकेण्डरी स्तर तक की हो सकती है। (भाषा-1 व भाषा-2 का पाठ्यक्रम कक्षा-6 से 10 स्तर का तथा मुख्य भाषा का पाठ्यक्रम हायरसेकेण्डरी स्तर का होगा।)

उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम आगे दिया गया है-

विस्तृत पाठ्यक्रम

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (**Child Development & Pedagogy**)	30 प्रश्न

- (अ) बाल विकास — 15 प्रश्न
- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं: सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइकः रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्त्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकनः स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं)

अधिगमकर्त्ताओं की तैयारी के स्तर के आंकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षाकक्ष में अधिगम को बढ़ाने आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगम कर्त्ता की उपलब्धि के आंकलन के लिए।

(ब) समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ 5 प्रश्न

- अलाभान्वित, एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्त्ताओं की पहचान ।
- अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगतकर्त्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालकः पहचान एवं निदानात्मक पक्ष।

  बाल अपराधः कारण एवं प्रकार

(स) अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागाजी) 10 प्रश्न

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियॉं, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकर्त्ता और वैज्ञानिक- अन्वेषक के रूप में बच्चा ।
- बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रृटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकः अवधान और रूचि।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक- व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन
- स्मृति और विस्मृति

हिन्दी भाषा (**Hindi Language**)	30 प्रश्न

भाषायी समझ/अवबोध -

भाषायी समझ/अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएॅं जिसमें एक गद्यांश (नाटक/ एकांकी/ घटना/ निबंध/ कहानी/ आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो इस अपठित में से समझ/अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएं। गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/ सामाजिक समरसता/तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा (**English Language**)	30 प्रश्न

1. Reading Comprehension

- Two short passages followed by short answer type questions.

2. Vocabulary

(Level-X standard)

- One word substitution
- Opposites
- Synonyms
- phrases
- idioms/proverbs

3. Functional Grammar:

(Level-X standard)

1. Articles
2. Modals
3. Determiners
4. Noun/ Pronoun
5. Adjective/Adverb
6. Narration
7. Prepositions
8. Tenses
9. Transformation of sentences
10. Voices

4. Writing

(Level-X standard)

- A factual description (in about 40 words) of any event or incident e.g. a report or a process based on given input/advertisements and

  notices/designing or drafting posters.

- One essay
- Writing letter/application based on given inputs. Letter types include:
    1. personal/informal letters
    2. application for a job

संस्कृत भाषा (**Sanskrit Language**)	30 प्रश्न

भाषायी समझ/अवबोध-

भाषायी समझ/अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाट्यांश/घटना/निबंध/कथा आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो इस अपठित में से

समझ/अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएँ। गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/सामाजिक समरसता/तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

उर्दू भाषा (**Urdu Language**)	30 प्रश्न

जबान की फ़हम पर पर मबनी सवालात (भाषायी समझ)

गैर दरसी इकतिबासात (मालूमाती/अदबी/बयानिया/ड्रामा/साइंसी) पर जबान की सलाहियत पर मबनी सवालात, कवायद (ग्रामर) और ज़ुबानी इज़हार की काबलियत पर मबनी सवालात पूछे जाएं।

गणित (**Mathematics**)	60 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु **(Content)** 45 प्रश्न

1. संख्या पद्धति-
   - प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक की पहचान एवं समझ
   - परिमेय संख्या की समझ एवं इन पर संक्रियाएँ
   - घातांक एवं परिमेय घातांको के लिए घातांक के नियमों का अनुप्रयोग
   - बहुपद एवं परिमेय व्यंजक
2. बीजगणित-
   - बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रियाएँ
   - अनुपात समानुपात, एकिक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती विचरण, चक्रवृद्धि ब्याज
   - अनुपात समानुपात, किस्त, लघुगणक
   - एक चर राशि का एक घातीय समीकरण
   - दो चर राशियों का रैखिक समीकरण
3. ज्यामिति-
   - मूल ज्यामितीय अवधारणाएँ
   - त्रिभुज के गुणधर्म
   - कोण
   - सममिति की अवधारणा
   - वृत्त
   - समरूप त्रिभुज
4. रचनाएँ-
   - त्रिभुज की रचना
   - चतुर्भुज की रचना
5. क्षेत्रमिति-
   - आयाताकार पथ का क्षेत्रफल

- पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन
- वृत्त का क्षेत्रफल

6. सांख्यिकी -
   - दण्ड आलेख
   - आयात चित्र
   - माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना
   - आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, वृत्त चित्र, आवृत्ति बहुभुज खीचना

(ब) **Pedagogical issues** 15_प्रश्न

- गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्कशक्ति का विकास
- पाठ्यक्रम में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना।

मूल्यांकन की नवीन विधियों तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनःशिक्षण की क्षमता का विकास।

विज्ञान (**Science**)	60 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (**Content**)	45 प्रश्न

1. ब्रह्माण्ड
2. मापन- समय, ताप, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन।
3. पदार्थ- पदार्थ की अवस्थाएँ, पदार्थ के गुण, पदार्थो की पृथक्करण की विधियाँ, धातु-अधातु, अणु-परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण
4. भोजन एवं स्वास्थ्य- भोजन के स्त्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थो का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य
5. सजीव जगत - वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रियाएँ, अनुकूलन, जैव उत्पत्ति
6. बल, गति एवं दाब
7. कार्य ऊर्जा और मशीन
8. ताप एवं उष्मा
9. हमारे आसपास का वातावरण- भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन-अपररूप, हाइड्रोकार्बन
10. प्राकृतिक घटनाएँ- प्रकाश, ध्वनि
11. वस्तुएँ कैसे काम करती हैं- चुम्बक, विद्युत एवं विद्युत धारा
12. प्राकृतिक संसाधन

13. खाद्य उत्पादन और प्रबंधन

14. पर्यावरण

(ब)	**Pedagogical issues**	15 प्रश्न

- विज्ञान के उद्देश्य
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
- महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धान्तों से अवगत कराना।
- विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना।
- अवलोकन, प्रयोग करना, खोज।
- विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना।
- प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना।

मूल्यांकन की नवीन विधियों तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास।

सामाजिक विज्ञान (**Social Science**)	60 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु 45 प्रश्न

- इतिहास-
- इतिहास जानने के स्त्रोत, आदिमानव का विकास व पाषाणकाल, हड़प्पा व वैदिककालीन सभ्यता, जैन व बौद्व धर्म, मौर्य, गुप्त व हर्षकाल, विदेशों से सम्पर्क व भारत के संबंध तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव।
- मध्यकाल का प्रारम्भ व इतिहास जानने के स्त्रोत, मोहम्मद गौरी व मुहम्मद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत- खिलजी वंश, तुगलक वंश व लोदी वंश के संदर्भ में, सल्तनतकालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति। मुगलकाल का संक्षिप्त परिचय (प्रमुख शासक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन तथा संगीत,चित्रकला व वास्तुकला) मुगलकाल का पतन । विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य । मराठा व सिक्ख शक्ति का उदय ।
- भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों का आगमन, सत्ता के लिए उनके आपसी संघर्ष। ब्रिटिश कम्पनी की सफलता व साम्राज्य विस्तार, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। धार्मिक-सामाजिक पुनर्जागरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य संघर्ष व महत्व, उदारवाद एवं अनुदारवाद, राष्ट्रीय आन्दोलन - असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आन्दोलन। राष्ट्रीय आन्दोलन में क्रांतिकारियों का योगदान। स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। स्वतंत्रता आन्दोलन में म.प्र. का योगदान।

  स्वातंत्रोतर भारत की प्रमुख घटनाएं- कश्मीर समस्या, 1962 का चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 का भारत पाक युद्ध, भारत में आपातकाल, भारत का आण्विक शक्ति के रूप में उदय।

- नागरिक शास्त्र-
- परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन (ग्रामीण व नगरीय संस्थाएं)
- भारतीय संविधान- विशेषताएँ, नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य, बाल एवं मानव अधिकार, मानव अधिकार आयोग। संघीय व्यवस्थापिका - लोक सभा, राज्य सभा, संघीय कार्यपालिका- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रि परिषद। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय - गठन, शक्तियाँ, कार्य। राज्य सरकार, राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद। निर्वाचन आयोग- कार्य एवं शक्तियाँ, निर्वाचन की प्रक्रिया।
- प्रजातंत्र- कार्यप्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और कार्य।
- प्रजातंत्र की प्रमुख चुनौतियां- निरक्षरता, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, बेरोजगारी, आतंकवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक संरक्षण।

भारत की विदेश नीति व पड़ोसी देशों से संबंध, संयुक्त राष्ट्र और भारत का योगदान।

- भूगोल-
- सौरमंडल, अंक्षाश व देशान्तर रेखाएं, ग्लोब व मानचित्र ।
- स्थलमंडल - पृथ्वी की गतियां, ऋतु परिवर्तन, परिवर्तनकारी बाह्य व आन्तरिक शक्तियां व उनके कार्य। मृदा संरक्षण ।
- वायुमंडल- वायुमंडल का संगठन, वायुदाब।
- जलमंडल - लहरें, धाराएं, ज्वार-भाटा, वर्षा। प्रमुख महासागर।
- भारत- स्थिति विस्तार, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु, खनिज एवं उद्योग,शक्ति संसाधन, प्रमुख फसलें, परिवहन के साधन, जनसंख्या व उसका वितरण।
- समस्त महाद्वीप- अक्षांशीय व देशान्तरीय विस्तार, धरातलीय संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु, खनिज एवं उद्योग, शक्ति संसाधन, प्रमुख फसलें, परिवहन के साधन,प्रमुख देश।

पर्यावरण- प्रदूषण के कारण व उपाय, औद्योगिक अपशिष्ट व उसका प्रबंधन, आपदा प्रबंधन।

- अर्थशास्त्र-
- आर्थकि विकास, भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियॉ, आर्थिक प्रणाली एवं वैश्वीकरण। मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली ।

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं भारत का कृषि विकास। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा सेवा क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण।

- (ब) शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे- 15 प्रश्न
- सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा।
- कक्षागत प्रक्रियाएँ, गतिविधियॉ एवं परिचर्चा।
- विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास।

- पूछताछ/आनुभविक साक्ष्य
- सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं।
- प्राथमिक एवं द्वितीयक संसाधन।
- परियोजना कार्य ।
- मूल्याकंन।

मुख्य भाषा- हिन्दी (Hindi)	60 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ/अवबोध - 45 प्रश्न

1. वाक्य बोध/भाषा बोध-
   - विराम चिन्ह और उनका अनुप्रयोग
   - वाक्य रचना- शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन, वाक्य के प्रकार (रचना, अर्थ, वाच्य के आधार पर), वाक्य बोध।
   - मुहावरे, लोकोक्तियां और उनका वाक्यों में प्रयोग

     बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा

2. काव्य बोध-
   - काव्य परिभाषा, काव्य भेद (प्रबंधकाव्य, मुक्तककाव्य), काव्य गुण
   - शब्द शक्ति
   - छंद- मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, कुण्डलिया, घनाक्षरी, मन्दाक्रांता, छप्पय, कवित्त, सवैया (मत्तगयंद, दुर्मिल)
   - अलंकार- यमक, श्लेष, ब्याजस्तुति, ब्याजनिन्दा, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अपहुती।

     रस परिचय, अंग, रसभेद।

3. अपठित बोध-

   गद्यांश/पद्यांश (शीर्षक, व्याख्या, सारांश)

4. निबंध लेखन-

   सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक समस्याओं, विचारात्मक, भावात्मक, ललित विषयों पर निबंध लेखन।

5. पत्र लेखन-

   औपचारिक, अनौपचारिक, सामयिक समस्याओं के समाधान हेतु एवं सम्पादक के नाम पत्र।

6. हिन्दी साहित्य-

   हिन्दी काव्य (पद्य) और उसका विकास

-पद्य साहित्य का विकास- आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय (रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष)

-आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां- छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नईकविता का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय (रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष)

7. हिन्दी गद्य और उसका विकास-

- गद्य साहित्य की विविध विधाएं (निबंध, नाटक, कहानी) और उनका सामान्य परिचय लेखक परिचय (रचनाएं, भाषाशैली)

(ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र - 15 प्रश्न

- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियॉं, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ.ना, लिखना) का मूल्यांकन
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत पुनः शिक्षण

Main Language- अंग्रेजी (English)	60 प्रश्न

A) Understanding of Language :	**45 questions**

1. **Reading Comprehension**

- Two passages (Factual+ Literary/Discursive) of 200 words each followed by short answer type questions.
- A poem of about 15 lines followed by short questions related to figures of speech, forms of poetry.
- Interpret tabular and diagrammatic presentation of information.

2. **Vocabulary**

- One word substitution
- Opposites
- Synonyms
- phrases
- idioms/proverbs
- word formation

3. **Functional Grammar:**

1. Tenses
2. Modals
3. Determiners
4. Articles
5. Voices
6. Narration
7. Prepositions
8. Clauses
9. Transformation of sentences

4. **Writing**

- A factual description (in about 40-50 words) of any event or incident e.g. a report or a process based on given input/advertisements and notices/designing or drafting posters.
- One essay (200-250 words)-out of four or five topics.
- Writing letter/application based on given inputs. Letter types include:
  1. business or official letters
  2. letters to editors
  3. personal/informal letters
  4. application for a job

B) Pedagogy of Language Development	**15 questions**

B.1 – **Learning and acquisition**

- Need for Learning English
- Objectives of teaching English
- Qualities of a good language teacher
- Methods and approaches (Grammar translation, Direct, bilingual, communicative, structural, integrated)

B.2 – **Language skills**

- Listening, Speaking, Reading and Writing skills
- Importance of listening and reading
- Importance of speaking and writing

B.3 – **Perspective and role of grammar in language learning**

- Parts of Speech
- Punctuation marks
- Framing questions
- Vocabulary and word formation (synonym and antonym, homophones, one word substitution, changing word category).

B.4 – **Challenges of teaching language**

- Planning and implementation (Teaching of Prose, grammar, composition, poetry)

B.5 – **Evaluation**

- learning enhancement programme
- Active learning Methodology
- CCE
- Remedial teaching

B.6 – **Teaching learning materials**

- Textbook preparing exercises based on the textbooks
- Multimedia materials (charts, flash cards, models, news paper cuttings, CD, Radio, Tape recorder)

मुख्य भाषा- संस्कृत (Sanskrit)	60 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ/अवबोध - 45 प्रश्न

1. व्याकरण

(क) शब्द रूप - राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधू, मातृ, फल, वारि, आत्मन्।

सर्व, तद, एतद्, यत्, इदम्, अस्मद्, युष्मद्।

(ख) धातु रूप - लट्, लृट्, लोट्, लङ्, एवं विधिलिङ् (पांचों लकार)

(का) परस्मैपद (ख) आत्मनेपद

(ग) सन्धि - संधि और उसके प्रकार - स्वर संधि, व्यजंन संधि, विसर्ग संधि एवं उनके भेद, संधि विच्छेद एवं संधि युक्त पद बनाना।

(घ) समास - समास की परिभाषा, भेद, समास विग्रह, सामासिक पद।

(ङ) प्रत्यय - कृत प्रत्यय- (क्त्वा, ल्यप्, तुमुन्, क्त, क्तवतु, शतृ, शानच्, तव्यत्, अनीयर्)।

(च)तद्धित प्रत्यय - अण्, ढक्, मतुप्, इत्, तल्, ठक्।स्त्री प्रत्यय- टाप्, ङीप।

(छ) अव्यय - पुनः, अपि, पुरा, अधुना, ह्यः, श्वः, अद्य, अधुना, कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, यदा, कदा, सर्वदा, उपरि, यथा, तथा, अपि।

2. संस्कृत निबंध लेखन एवं अनौपचारिक पत्र एवं प्रार्थना पत्र लेखन।

3. (क) वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद् का सामान्य परिचय।

(ख) रामायण एवं महाभारत का सामान्य परिचय।

4. संस्कृत के प्रतिनिधि काव्यों का परिचय - (भास, कालिदास, शूद्रक एवं भवभूति की कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान)

5. कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय।

6. हिन्दी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना।

7. संस्कृत अपठित गद्य एवं अपठित पद्य का हिन्दी अनुवाद एवं पाठ्यांश पर आधारित विविध प्रकार के प्रश्न - एक वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, विशेषण-विशेष्य अन्विति/पर्याय/विलोम शब्द।

- (ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षाशास्त्र - 15 प्रश्न
- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता।
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त।
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं।
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका।
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता।
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत।
- मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण।

मुख्य भाषा- उर्दू **(Urdu)**	60 प्रश्न

1. भाषायी समझ 45 सवालात
   - गद्य (नसर) की विधाएं -
   - मकतूब निगारी, दास्तान, अदबी तारीख़, मुखतसिर अफ़सानें, रिपोरताज़, इन्शाईया, तन्जो-मजाह, सफ़र नामा, ख़ाका।

   मुआविन मुताला- यादें, आपबीती मज़मून, कहावतें

2. पद्य (नज़्में)
   - गजलें (मसनवी, कसीदा, मरसिया नज्में रुबाई

   तवील नज़्में- अली सरदार जाफरी की वक़्त का तराना

3. व्याकरण (क़वायद)-
   - हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, हरकात व सकनात,

रमूज़ औकाफ़, साबके लाहके, सिफत, तज़ाद, तजाहुले आरिफ़ाना, हरफे अतफ़ मजाज मुरसिल, कहावतें, मुहावरें, वाक्य में प्रयोग, तजनीस (ताम, जायद नाक़िस) कनाया, लफ़ व नशर।

4. निबंध लेखन (मज़मून)

5. पत्र/प्रार्थना पत्र (खत व दरखवास्त)

6. गैर दरसी इकतिबास (अपठित) की तशरीह व उस पर आधारित प्रश्न

7. उर्दू साहित्य का इतिहास (गद्य व पद्य का विकास)

भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षाशास्त्र व पढ़ाने के तरीकों पर प्रश्न 15 सवालात

- उर्दू शिक्षण की आवश्यकता व उद्देश्य
- अच्छे उर्दू शिक्षक की विशेषताएं
- भाषा शिक्षण के सिद्धांत
- तरीक़ा-ए-तदरीस, नस्र व नज़्म की विभिन्न विधाओं का (असनाफ़) शिक्षण
- ए उर्दू सीखना और समझना (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों महारतें
- उर्दू भाषा की चारों महारतों का मूल्यांकन
- भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की अहमियत, बच्चों के ज़रिए उर्दू भाषा का प्रयोग
- ज़बानी और तहरीरी (लेखन) में कवायद का इस्तेमाल
- क्लासरूम में मुख़तलिफ तालीमी इस्तेदाद वाले बच्चों को ज़बान सिखाने में आने वाली मुशकिलात दूर करके ग़लतियों को चुनौती की तरह लेकर पढ़ना सिखाना
- क्लास में किताब़, अमदादी अशिया, मल्टीमीडिया मटेरियल समई-बसरी आलात व विभिन्न स्तर व कक्षा के बच्चों को पढ़ाना
- ख़ु सीसी तदरीस (विशेष/पुनः शिक्षण)
- कवायद (ग्रामर):- इस्म, ज़मीर, ज़मीर, की किस्में, फेअल फेअल की अकसाम, जिंस, ज़माना जुमला सिफत, तज़ाद, साविक़ा, लाहेक़ा, वाहिद, जमा मुज़क्कर, मोअन्नस, मुहावरे बगैरा। लाज़िम मुतअददी, मारूफ़ मजहूल ग़ज़ल, क़तआ,रूबाई, मसनवी, नज़्म, तशबीह, तलमीह, इस्तिआरा, सनअते तज़ाद मतला, मक़ता, रदीफ़, क़ाफ़िया वगैरा।

- गैर दर्सी इक्तिबास
- दरख़वास्त और खुतूत नवीसी मज़मून नवीसी।

प्रारूप-1

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपप्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स. क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न में त्रुटि का विवरण	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	प्रश्न/उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है ।

आवेदक के हस्ताक्षर..

आवेदक का नाम एवं पता ....

....

....

दूरभाष क्रमांक...

दिनांक...

प्रारूप-2

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4" x 5" cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxzsth d y/k gLrk{kj ekU; ugh gksx A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे

  (i)Put your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid